



2026: AHC: 2934

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-40802 सन् 2025

अर्जुन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- अंकित कुमार, नमित कुमार शर्मा

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- जी.ए., कुमारी अंजना

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्रीअशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार, राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए० श्री अरिमर्दन यादव तथा विपक्षी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता कुमारी अंजना को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक अर्जुन की ओर से , पुलिस थाना- कोतवाली सासनी, जनपद-हाथरस में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 140(4) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4(2) के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 312 सन् 2025 में, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस विशिष्ट वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और वह दिनांक 6.9.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की कोई तिथि एवं समय उल्लेखित नहीं है। आवेदक की ओर से विद्वान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद मिथ्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित कथन में पीड़िता ने घटना की तिथि एवं समय 21.8.2025 को सायं 7:30 बजे अंकित किया है , जबकि पृष्ठ 31 पर संलग्न चोट परीक्षण प्रपत्र में चिकित्सीय परीक्षण की तिथि एवं समय 21.8.2025 को अपराह्न 12:05 बजे उल्लेखित है , जो अभियोजन के कथानक को असत्य सिद्ध करता है। उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा जमानत पर उन्मोचित किए जाने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों , आरोपों की प्रकृति , दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्यों की प्रकृति , साक्षियों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए , किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना , जमानत का एक प्रकरण निर्मित होता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक , अर्जुन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभु को निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक एवं हर तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा , जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में , अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।